पत्रांक :   /प0स0/2014   दिनांक 05/11/2014

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनाँक 05/11/2014 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो0 सुरेन्द्र दुबे, अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3. प्रो0 अरविन्द कुमार मिश्र, (प्रतिनिधि) अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4. लालजी त्रिपाठी, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
5. प्रो0 एम0सी0 गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
6. प्रो0 एच0एस0 शुक्ला, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
7. डॉ0 महेश्वर सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8. डॉ0 अंजनी कुमार सिंह, आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग	सदस्य
9. डॉ0 रमेशबाबू सोलंकी, प्राचार्य, किसान पी0जी0 कालेज, कुशीनगर	सदस्य
10. डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्या, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
11. डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
12. प्रो0 अरविन्द कुमार मिश्र, (प्रतिनिधि) अध्यक्ष, वि0वि0 शिक्षक संघ	सदस्य
13. डॉ0 राजेश चन्द्र मिश्र, अध्यक्ष महा0वि0 शिक्षक संघ	सदस्य
14. श्री अखिलेश कुमार पाल, परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :–

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30/09/2014 अध्यक्ष की अनुमति बिन्दु 'घ' में बी0एड0 वर्ष–2014 में रिक्त सीटों पर महाविद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के क्रम में कुलपति जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2014 से अवगत होना।
   निर्णयः– समिति माननीय कुलपति जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2014 से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शासनादेश संख्या 1649/सत्तर–3–2013–बी0एड0(35)/12 दिनांक 26/09/2013 एवं शासनादेश संख्या 1729/सत्तर–3–2012–बी0एड0(35)/2012 दिनांक 08/10/2013 के अनुसार महाविद्यालयों द्वारा बी0एड0 सत्र 2013–14 में रिक्त सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों की परीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रोवविजनली परीक्षा कराने का निर्णय लिया साथ ही उपरोक्त शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय द्वारा रिक्त सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों की भी प्रोवविजनली परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय तथा उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षाफल माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुसार ही परीक्षाफल घोषित किया जाय।
2. वार्षिक परीक्षा सत्र–2014 में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कुल 877 अभ्यर्थी नकल में आरोपित हुए थे उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ द्वारा कराने के बाद छात्रों को आरोप पत्र भेजने के उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं का अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा निस्तारण करा लिया गया है। कुल 149 अभ्यर्थी अनुसूचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा दोषमुक्त पाये गये हैं शेष अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल सत्र–2014 निरस्त एवं सत्र 2015 की परीक्षा से वंचित किये जाने का निर्णय लिया गया है। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निर्णय पत्र (मेमो) भेजा जा रहा है। परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
   निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति के निर्णय एवं संस्तुतियों से सहमत हुई।
3. बी0ए0 भाग एक, अनुक्रमांक 7015070034, समाज शास्त्र, केन्द्र नं0 210, महाविद्यालय कोड 507, कु0 शशि के उत्तरपुस्तिका में संलग्न पी–3 पर कक्ष परिप्रेक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष के रिपोर्ट तथा परिक्षक की रिपोर्ट है कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। यू0एफ0एम0 निस्तारण समिति ने यह प्रकरण परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया है, पर विचार।
   निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की वर्ष–2014 की परीक्षा निरस्त किया जाय एवं 2014–15 तथा 2015–16 की परीक्षा से वंचित किया जाय।

4. बी0ए0 भाग तीन अनुक्रमांक 7111410232, समाज शास्त्र, कैच नं0 286, महाविद्यालय कोड 141, कु0 रागिनी दीक्षित के उत्तरपुस्तिका में पी–3 संलग्न नहीं है। उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर केन्द्राध्यक्ष एवं संयोजक उड़ाकादल तथा परीक्षक की रिपोर्ट है कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरा अभ्यर्थी रानी चौरसिया परीक्षा दे रही थी। यू0एफ0एम0 निस्तारण समिति ने यह प्रकरण परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया है, पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित अभ्यर्थी की वर्ष–2014 की परीक्षा निरस्त किया जाय एवं 2014–15 तथा 2015–16 की परीक्षा से वंचित किया जाय।

5. एम0काम0 प्रथम वर्ष 2014 बण्डल संख्या 586/13156/333/13, 11/25 में एक उत्तरपुस्तिका अनुक्रमांक 7063001018 के पृष्ठसंख्या 11 से 24 तक के फटे होने के कारण परीक्षक द्वारा पूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है, की रिपोर्ट की गयी है साथ में पर्ण भी संलग्न किया गया है। यह प्रकरण यू0एफ0एम0 निस्तारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति ने "पृष्ठ संख्या 11 से 24 तक के पृष्ठ फाड़े गये हैं (उत्तरपुस्तिका फटी हुई है)। अतः इस प्रकरण को परीक्षा समिति को संदर्भित किया जाता है, पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूरे प्रकरण की सम्यक जांच करायी जाय।

6. मो0 अफजल अंसारी पुत्र श्री मो0 अहमद अंसारी, अनुक्रमांक 7037070136, बी0काम0 भाग एक, कैच नं0 519 तथा शैलेश सिंह पुत्र श्री हरिगोविन्द सिंह, अनुक्रमांक 7087070221, बी0काम0 भाग दो, कैच नं0 525 दोनों उत्तरपुस्तिका एजेन्सी से प्राप्त है। यह प्रकरण यू0एफ0एम0 निस्तारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि "**उपर्युक्त दोनों परीक्षार्थियों की एक ही तिथि समान विषय में दो–दो उत्तरपुस्तिकाएं प्राप्त की गयी हैं जो अत्यन्त संदेह, केन्द्र द्वारा लापरवाही तथा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। सम्बन्धित केन्द्र से पी–7 की सहायता से वास्तविक उत्तरपुस्तिका चिन्हित किया जा सकता है। विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस प्रकरण को परीक्षा समिति को संदर्भित किया जाता है**", पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रपत्र पी–7 मूल रूप में मंगाया जाय तथा प्रकरण की जांच करायी जाय।

7. कु0 रेनु शाही अनुक्रमांक 7680010141 विधि भाग दो तृतीय सेमेस्टर 9 वां प्रश्नपत्र की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष द्वारा उत्तरपुस्तिका पर कक्ष निरिक्षक का हस्ताक्षर न होने के कारण बिना मूल्यांकन कराये वापस की गयी है, पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पी–7 से परीक्षार्थी की उपस्थिति सत्यापित करने के उपरान्त निर्णय लिया जाय।

8. वर्ष 2013–13 के बी0एड0 पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30/09/2014 के बिन्दु संख्या 11 पर रखा गया था जिसमें समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कार्यपरिषद के कार्यवृत्त के साथ अगली बैठक में रखा जाय। कार्यपरिषद का कार्यवृत्त प्राप्त हो गया है "कार्यपरिषद में छूटी हुई प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाओं को कराने के सम्बन्ध में कुलपति जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया" पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कार्यपरिषद के कार्यसूची से सम्बन्धित पत्रावली के साथ अगली बैठक के साथ सम्पूर्ण तथ्यों के साथ रखा जाय।

9. निरंजन पाण्डेय एम0बी0बी0एस0 फाइनल प्रोफेशनल पार्ट द्वितीय परीक्षा मार्च/अप्रैल 2009–10 की सारणीयन पंजिका में मेडिसिन विषय के विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष–2013 में भेजे गये इन्टरनल एसेसमेन्ट के अंक को अंकित कर अंकतालिका निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/02/2014 में रखा गया था। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "समिति ने प्राचार्य से वर्ष–2010 के परीक्षा के अंक देर से वर्ष–2013 में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक आख्या मांगी जाय" का निर्णय लिया था। प्राचार्य द्वारा आख्या प्राप्त हो गयी है, प्राचार्य द्वारा प्राप्त आख्या पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विभागाध्यक्ष द्वारा भेजा गया इण्टरनल एसेसमेन्ट का अंक स्वीकार किया जाय तथा अंकपत्र निर्गत कर दिया जाय, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो की सूचना प्राचार्य को भेजा जाय।

10. कु0 जगदम्बा पुत्री रामशंकर बी0ए0 भाग एक वर्ष–2008, बी0ए0 भाग दो वर्ष–2009 एवं बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2010 कन्या महाविद्यालय, भायघाट, बस्ती के पिता के नाम गौरी शंकर के स्थान पर रामशंकर के संशोधन करने के प्रकरण पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/09/2014 के बिन्दु संख्या 4 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "प्राचार्य से आख्या मांग ली जाय" प्राचार्य की आख्या प्राप्त हो गयी है। नाम संशोधन के सम्बन्ध में प्राचार्य की आख्या पर विचार।

निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षार्थी के पिता के नाम का संशोधन कर दिया जाय।

11. याचिका संख्या 55301/2013 बृजेश कुमार तिवारी बनाम कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में पारित आदेश दिनांक 05/10/2013 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 12/06/2014 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 3 पर रखा गया था। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल अभिलेख के साथ परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखा जाय। अभिलेख प्राप्त हो गया है, प्राप्त अभिलेख पर विचार।
निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय। इस हेतु अलग से एक विस्तृत आदेश जारी किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार—

I. विश्वविद्यालय परीक्षा 2014 में सामूहिक नकल के सम्बन्ध में उड़ाका दल संयोजकों/परीक्षकों से प्राप्त शिकायतों एवं इस सम्बन्ध में विभागीय सामूहिक नकल निस्तारण समितियों द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों पर विचार।
निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मति से वार्षिक परीक्षा–2014 में सामूहिक नकल के सम्बन्ध में उड़ाका दल संयोजकों/परिक्षकों से प्राप्त शिकायतों पर सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों के सम्बन्धित प्रश्नपत्र की उत्तरपुस्तिकाओं पर गठित विभागीय सामूहिक नकल निस्तारण समितियों द्वारा निरीक्षणोपरांत प्रस्तुत संस्तुतियों (महाविद्यालय कोड–763, वीर अब्दुल हमीद स्मारक महाविद्यालय फतेहपुर, झुंगिया, गोरखपुर जिसका एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, को छोड़कर, इसको अगली बैठक में रखा जाय) को स्वीकार करते हुए निम्नवत निर्णय लिया—

1. सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालयों की जिन कक्षाओं में सामूहिक नकल में आरोपित विषय/प्रश्नपत्र आरोप मुक्त हो गये हैं उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों के सम्बन्धित कक्षाओं के परीक्षाफल अंकों की कटौती के बिना तत्काल घोषित कर दिये जायं।
2. सामूहिक नकल में आरोपित महाविद्यालय जिन पर आरोप सिद्ध पाये गये हैं उनके सम्बन्धित परीक्षाफल आरोप सिद्ध प्रश्नपत्र के पूर्णांक का 30 प्रतिशत अंकों की कटौती उस प्रश्नपत्र के प्राप्तांक से करके परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।
3. सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों पर इस परीक्षा में केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके केन्द्राध्यक्षों को अगली परीक्षा 2015 में किसी भी परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष न बनाया जाय।

II. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 12/06/2014 के बिन्दु संख्या 7 पर डा0 बी0के0 सिंह, उपाचार्य, भूगोल विभाग, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर का प्रकरण रखा गया था। समिति ने निर्णय लिया था कि डा0 बी0के0 सिंह के पक्ष को जानने के लिए उनको पत्र भेजा जाय। डा0 बी0के0 सिंह का पत्र प्राप्त हो गया है। डॉ0 बी0के0 सिंह के प्राप्त पत्र पर विचार।
निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विधिक राय लेकर परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखा जाय।

III. डॉ0 नीरज कुमार शुक्ल के पत्र दिनांक 11/07/2014 के पत्र के माध्यम के बी0ए0 भाग दो भूगोल प्रायोगिक परीक्षा प्रभावती महाविद्यालय, खरवनिया, भाट, देवरिया के वाह्य परिक्षकों के पैनल में डॉ0 शुक्ल का नाम क्रमांक 01 पर था। महाविद्यालय को इसकी सूचना दी गयी थी। महाविद्यालय ने विभागाध्यक्ष को पैनल के वाह्य परिक्षकों से सम्पर्क न होने का हवाला देते हुए दूसरे वाह्य परिक्षक का मांग किया है जिस पर विभागाध्यक्ष महोदय ने उक्त महाविद्यालय के बी0ए0 भाग दो भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 2014 सम्पन्न कराने हेतु डॉ0 सचिन्त पटेल, भूगोल विभाग, एल0बी0एस0 कालेज, गोण्डा का नाम प्रस्तावित किया है। उक्त महाविद्यालय के बी0ए0 भाग दो के प्रायोगिक परीक्षा का अंक अबतक प्राप्त नहीं है पर विचार।
निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण में महाविद्यालय से स्पष्टीकरण मांग लिया जाय और कार्यालय द्वारा परिक्षकों का भेजे गये पैनल में से क्रमानुसार परीक्षा के लिए बुलाया जाय।

IV. वार्षिक परीक्षा 2013–14 में विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय केन्द्र के अभ्यर्थियों/महाविद्यालय द्वारा त्रुटि पूर्ण कारणों से ऑनलाइन के भरे गये परीक्षा फार्म गलत विषय का चयन कर लिया गया है, परन्तु महाविद्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों को अपने मूल विषयों से विषय परिवर्तन कर परीक्षा में सम्मिलित कराया गया है

इस सम्बन्ध में वर्ष 2012--13 की परीक्षा में भी त्रुटिपूर्ण फार्म प्राप्त हुए थे जिस में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/12/2013 के बिन्दु संख्या 4(अ) (ब) (स) में निम्नवत निर्णय लिया गया है-

"परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया कि इस त्रुटि के लिए सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा जाय समिति विद्यार्थी हित के दृष्टिगत विषय परिवर्तन के प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिए:-

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में विद्यार्थी जिस विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा प्राचार्य ने उसकी संस्तुति की है तो उसे मान्य करते हुए संशोधन कर दिये जाय परन्तु संशोधन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित विषय में छात्र यू0एफ0एम0 में आरोपित नहीं है।

(ब) स्नातक द्वितीय वर्ष में उन्हीं विषयों में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाय विद्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में जिस विषय का चयन किया गया था तथा यू0एफ0एम0 में आरोपित न हो।

(स) स्नातक तृतीय वर्ष में उन्हीं विषयों में संशोधन की अनुमति दी जाय, विद्यार्थी द्वारा द्वितीय वर्ष में जिस विषय का चयन किया गया था तथा यू0एफ0एम0 में आरोपित न हो।

(द) स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष एवं बी0काम0 तृतीय वर्ष में भी उक्त निर्णयानुसार प्राचार्य की संस्तुति पर नियमानुसार एवं यू0एफ0एम0 की आख्या के आधार पर ग्रुप का संशोधन कर दिया जाय।

विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अपवाद स्वरूप मात्र सत्र 2012--13 के लिए है इसे नजीर नहीं माना जायेगा।"

अतः उक्त उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परीक्षा वर्ष--2013--14 के विषय परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/12/2013 के बिन्दु (अ) (ब) (स) में लिए गये निर्णय को माना जाय।

V. प्रो0 सन्दीप कुमार, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग के प्रस्ताव/संस्तुति छात्रा अराधाना पाण्डेय के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वाणिज्य संकाय के वाणिज्य विभाग तथा कला संकाय के विभागों में परीक्षाफल तैयार किया जाता है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र विषय में भी न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित करने के लिए सभी प्रश्नपत्रों (मौखिकी सहित) के कुल योग का 36 प्रतिशत लिया जाना चाहिए, पर विचार।

निर्णयः--समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण को अगली बैठक में रखा जाय।

अध्यक्ष के धन्यवाद के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त सम्मानित सदस्यगण।
2. सचिव, कुलपति कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. कुलसचिव।
4. उप कुलसचिव परीक्षा।
5. सम्पत्ति अधिकारी।

परीक्षा नियंत्रक